दिनांक 10.12.2014 को आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) पर प्लानिंग एण्ड ओरिएण्टेशन कार्यशाला एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रभारी की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राज्य मंत्री, बाल विकास एवं बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) पर प्लानिंग एण्ड ओरिएण्टेशन कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन, महानिदेशक एवं निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा स्निप के उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्रीमती मधु अग्रवाल तथा उनके क्षेत्रीय मैनेजर और निदेशालय के अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी तथा उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया।

प्रमुख सचिव द्वारा अपने उद्बोधन में यह निर्देश दिये गये कि समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त ऑगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित संचालन हो और जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका अपने निरीक्षण के समय यह सुनश्चित करें कि शासनादेश के अनुसार हॉट कुक्ड का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समुचित रूप से हो तथा जहां पर हॉट कुक्ड बनाया जा रहा हो, उस स्थान पर समुचित साफ सफाई के साथ साथ जिस वर्तन में हॉट कुक्ड तैयार व वितरित किया जा रहा हो, वह भी पूर्णतया स्वच्छ हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले हॉट कुक्ड मीनू के अनुसार गुणवत्तापरक् हो और उसका वितरण करने से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मुख्य सेविका चखने के बाद ही लाभार्थी बच्चों के हाथ साबुन से विधिवत् धुलाकर वितरित करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी भी अपने निरीक्षण के दौरान बच्चों को हॉट कुक्ड वितरित कराने के पूर्व स्वयं चखे।

1. श्रीमती मधु अग्रवाल, स्टेट टीम लीडर, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा आईसीडीएस सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण परियोजना (स्निप) के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु पोषण के सुधार हेतु सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए समुदाय में कार्यक्रम के लिए उद्देश्यों एवं कार्यो पर विस्तार प्रकाश डालते हुए स्निप की गतिविधियों एवं कार्यो के संदर्भ में प्रोजेक्टर के माध्यम से गाइड लाइन का समुचित प्रस्तुतिकरण कार्यशाला में किया गया।

2. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी को गत बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चो में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन लेकर माह दिसम्बर, 2014 की मासिक प्रगति प्रतिवेदन में पारदर्शी ढंग से अंकन अनिवार्य रूप से करने तथा कुपोषित बच्चो का चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

3. हॉट कुक्ड योजना के अन्तर्गत गत बैठक में दिये गये निर्देशों का समुचित अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस मद में आवंटित धनराशि का आहरण एवं उपभोग की स्थिति समायोजन रिपोर्ट दिनांक 15.12.2014 तक प्रस्तुत करने तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जिस औसत से हॉट कुक्ड की आपूर्ति की जा रही है, उनका भुगतान उसी औसत के अनुसार किए जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी को अवगत कराया गया कि किसी तरह की कोई स्थानीय घटना/शिकायत संज्ञान में आये तो उसकी त्वरित जांच करके रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित की जाय।

4. डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गत बैठक में दिये गये निर्देशों का समुचित अनुवण एवं अनुपालन करने के साथ तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ निर्धारित प्रारूप (पत्रांक सी–1576 दिनांक 19.11.2014 द्वारा सरकुलेट) पर सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

5. आंगनबाड़ी केन्द्रों री–मैंपिंग एवं री–लोकेशन करने के निर्देश दिए गए। री–मैपिंग एवं री–लोकशन भारत सरकार के मानक के अनुसार शहरी क्षेत्र में 5.00 कि0मी0 तक, ग्रामीण क्षेत्र में 3.00 कि0मी0 तक तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 1.5 कि0मी0 तक किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत कराया गया कि कोई क्षेत्र (पाकिट) आईसीडीएस के अच्छादन से अछूता न रहे।

6. वेइंग मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की उपलब्धता की सूचना, आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता एवं मांग पत्र तथा जनगणना आयोग की जनगणन 2011 से 0–6 वर्ष के बच्चों का सही सही मिलान कर सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(आनन्द कुमार सिंह),
निदेशक।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः C-1893/बा0वि0परि0/अनु0–बैठक/2014–15 दिनांकः 02 जनवरी ~~दिसम्बर~~ 2015

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द कुमार सिंह),
निदेशक।